

(3) विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति
Scholarship to Disabled Students

उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन।

पात्रता ऐसे विकलांग छात्र/छात्राएं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इस से अधिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा आंकी गई हो तथा माता पिता/संरक्षक की मासिक आय 5000/-रु० से अधिक न हो।

सहायता पात्र छात्रों को निम्नलिखित मासिक दरों पर छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाती है:-

| कक्षा | दिवस छात्र | छात्रावास में रह रहे छात्र |
|---|------------|----------------------------|
| पहली से पाचवीं तक | 350 /- | 1000 /- |
| छठी से आठवीं तक | 400 | 1000 /- |
| नवीं व दसवीं | 450 /- | 1000 /- |
| 10+1 & 10+2 | 500 /- | 1500 /- |
| बी०ए०, बी०कॉम, बी०एस०सी० इत्यादि | 550 /- | 2000 /- |
| बी०ई० / बी०टैक० / एम०बी०बी०एस० / बी०एड० इत्यादि | 650 /- | 2000 /- |
| एम०ए० / एम०एस०सी० / एम०एड० / इत्यादि | 750 /- | 2000 /- |

प्रक्रिया पात्र छात्र निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन सम्बन्धित पाठशाला/संस्थान के माध्यम से जिला कल्याण अधिकारियों को आय प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र सहित भिजवा सकते हैं।

सम्पर्क-अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित शिक्षण संस्थान।